कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 1560 /11–सी–FP/UP/Trans/18048/2016, लखनऊः दिनांकः फरवरी 04 ,2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मिर्जापुर क्षेत्र,
मिर्जापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिवीजन), रेणुसागर को 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाइन हेतु हस्तांतरित 38.2591 हे0 आरक्षित वनभूमि को 25 वर्षों (दिनांक 09.02.2016 से दिनांक 08.02.2041 तक) के लिए लीज नवीनीकरण के संबंध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/04/68/2019/एफ0सी0/244, दिनांक 14.08.2019, उ0प्र0 शासन का पत्रांक–131/81–2–2019–145(233)/64, दिनांक 27.09.2019 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–1136/11–सी–FP/UP/Trans/18048/2016, दिनांक 06.12.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयॉकित प्रकरण में की गयी आपत्तियों का पूर्ण बिन्दुवार निराकरण करने हेतु इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 06.12.2019 के द्वारा आपको लिखा गया था, जिसके क्रम में आपने अपने पत्रांक–3547/मी0क्षे0/33, दिनांक 29.01.2020 के द्वारा भारत सरकार की आपत्तियों का निराकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त पुनः निम्न कमियॉ पायी गयीः–

1. भारत सरकार की आपत्ति सं0–5 के निराकरण के क्रम में भारत सरकार की गाइडलाइन दिनांक 29.10.2018 के अनुसार उल्लंधन के फलस्वरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा करायी जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न की गयी है किन्तु दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना में ब्याज केवल एक वर्ष का लिया गया है, जोकि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है।

अतः विषयगत प्रकरण में भारत सरकार की गाइडलाइन दिनांक 29.10.2018 के अनुसार उल्लंधन के फलस्वरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा करायी जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना अद्यतन समयावधि तक ब्याज समाहित करते हुये संशोधित दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संस्तुति सहित तीन प्रतियों में तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। आपके स्तर से अनुचित परीक्षण न किये जाने के कारण शासन को आख्या उपलब्ध नहीं कराई जा पा रही है।

भवदीय,

5/2

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– /11–सी– **FP/UP/Trans**/18048/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
2. सहायक महाप्रबन्धक, मै0 हिण्डालकों इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट–सोनभद्र।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-2175

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 1560 /11–सी–FP/UP/Trans/18048/2016, लखनऊः दिनांकः फरवरी 04 ,2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मिर्जापुर क्षेत्र,
मिर्जापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिवीजन), रेणुसागर को 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाइन हेतु हस्तांतरित 38.2591 हे0 आरक्षित वनभूमि को 25 वर्षों (दिनांक 09.02.2016 से दिनांक 08.02.2041 तक) के लिए लीज नवीनीकरण के संबंध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/04/68/2019/एफ0सी0/244, दिनांक 14.08.2019, उ0प्र0 शासन का पत्रांक–131/81–2–2019–145(233)/64, दिनांक 27.09.2019 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–1136/11–सी–FP/UP/Trans/18048/2016, दिनांक 06.12.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयॉकित प्रकरण में की गयी आपत्तियों का पूर्ण बिन्दुवार निराकरण करने हेतु इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 06.12.2019 के द्वारा आपको लिखा गया था, जिसके क्रम में आपने अपने पत्रांक–3547/मी0क्षे0/33, दिनांक 29.01.2020 के द्वारा भारत सरकार की आपत्तियों का निराकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त पुनः निम्न कमियॉ पायी गयीः–

1. भारत सरकार की आपत्ति सं0–5 के निराकरण के क्रम में भारत सरकार की गाइडलाइन दिनांक 29.10.2018 के अनुसार उल्लंधन के फलस्वरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा करायी जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न की गयी है किन्तु दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना में ब्याज केवल एक वर्ष का लिया गया है, जोकि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है।

अतः विषयगत प्रकरण में भारत सरकार की गाइडलाइन दिनांक 29.10.2018 के अनुसार उल्लंधन के फलस्वरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा करायी जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना अद्यतन समयावधि तक ब्याज समाहित करते हुये संशोधित दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संस्तुति सहित तीन प्रतियों में तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। आपके स्तर से समुचित परीक्षण न किये जाने के कारण शासन को आख्या उपलब्ध नहीं करायी जा रही है।

भवदीय,

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 1560/11–सी– **FP/UP/Trans/18048/2016**, दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
2. सहायक महाप्रबन्धक, मै0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट–सोनभद्र।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-2175